6. ज़िला प्रशासन

मोहल्ला, गांव, तहसील और ज़िला

तुम्हारा पता-

तुम्हारा नाम क्या है------

तुम्हारे गांव/शहर का नाम क्या है ----------

तुम्हारी तहसील का नाम क्या है ----------

तुम्हारे ज़िले का नाम क्या है ----------

तुम रहते तो एक ही जगह हो, फिर तुम्हारे पते में इतनी जगहों के नाम कैसे आए? आखिर तुम कहां रहते हो - गांव में या तहसील में या ज़िले में?

चलो, इस बात का एक और उदाहरण लें। तुम अपने घर में रहते हो। तुम्हारा घर एक मोहल्ले में है। तुम्हारे घर और दूसरे कई घरों को मिलाकर तुम्हारा मोहल्ला बनता है।

तुम्हारा मोहल्ला तुम्हारे गांव में है। तुम्हारे मोहल्ले और दूसरे कई मोहल्लों को मिलाकर तुम्हारा गांव बनता है।

तुम अपने घर में रहते हुए अपने मोहल्ले में भी रहते हो, और अपने गांव में भी। क्योंकि तुम्हारा घर तुम्हारे ------ में है और तुम्हारा मोहल्ला तुम्हारे------ में है।

इसी तरह तुम्हारा गांव तुम्हारी तहसील में है। तुम्हारा गांव और कई और गांवों को मिलाकर तुम्हारी तहसील बनती है।

तुम्हारी तहसील तुम्हारे ज़िले में है। तुम्हारी तहसील और दूसरी कुछ तहसीलों को मिलाकर तुम्हारा ज़िला बनता है।

तुम्हारा ज़िला

तुम किस ज़िले में रहते हो?

गुरूजी से कहो तुम्हें ज़िले का नक्शा दिखाएं। अपने ज़िले के नक्शे में तुम अपनी तहसील पहचानो। तुमने अपनी तहसील का नक्शा देखा था।

क्या ज़िले के नक्शे में तुम्हारी तहसील उतनी ही बड़ी बनी है?

ज़िले में तुम्हारी तहसील के अलावा और कौन सी तहसीलें हैं?

इस नक्शे में तहसीलों की सीमा किस तरह दिखाई गई है?

ज़िले की सीमा किस तरह दिखाई गई है?

यहां दी गई तालिका में अपने ज़िले की सब तहसीलों के नाम लिखो। हर तहसील के कम से कम तीन गांवों के नाम भी उसके सामने लिखो।

तहसील	गांव

तुम्हारे ज़िले की उत्तरी और पूर्वी सीमा पर कौन-कौन सी तहसीलें हैं?

यहां दिए वाक्यों में से सही वाक्य चुनो। गलत वाक्यों को सही करके अपनी कापी में लिखो।

1. एक घर में कई मोहल्ले हैं।
2. एक तहसील में कई गांव हैं।
3. एक मोहल्ले में कई गांव हैं।
4. एक तहसील में कई ज़िले हैं।
5. एक गांव में कई घर हैं।
6. एक गांव में कई मोहल्ले हैं।
7. एक ज़िले में कई गांव हैं।
8. एक ज़िले में एक तहसील से ज़्यादा गांव है।

तहसील और ज़िले के अधिकारी व कर्मचारी

क्या तुम सोच सकते हो कि तहसील व ज़िलों में क्या होता है? यह जानने के लिए चलो तहसील और ज़िले के **मुख्यालयो** पर देखें क्या होता है।

तुम्हारी तहसील का मुख्यालय कहां है? तुम्हारे ज़िले की अन्य तहसीलों के मुख्यालय कहां हैं?

तुम्हारे ज़िले का मुख्यालय कहां है?

ज़िलों और तहसीलों के मुख्यालयों में कई दफ्तर हैं। इन दफ्तरों में कई **अधिकारी** और **कर्मचारी** काम करते हैं। इस पाठ में हम **पटवारी, तहसीलदार** और **जिलाधीश (कलेक्टर)** का काम देखेंगे।

तुमने इन लोगों के बारे में सुना होगा। तुम पटवारी, तहसीलदार और ज़िलाध्यक्ष के बारे में क्या जानते हो- कुछ वाक्यों में बताओ।

इनमें से सबसे बड़ा अधिकारी तुम किसे मानते हो?

पटवारी, तहसीलदार और ज़िलाधीश ज़मीन का हिसाब-किताब रखने और ज़मीन के झगड़ों में फैसला करने का काम करते हैं। चलो, एक पटवारी, एक तहसीलदार और एक ज़िलाधीश से मिलकर उनके काम और समस्याओं के बारे में समझें।

पटवारी

ज़मीन की नपाई करना और लेखा-जोखा रखना ही पटवारी का मुख्य काम है।

अगर ज़मीन को लेकर दो लोगों में झगड़ा हुआ तो वही उस ज़मीन का मालिक माना जाएगा, जिसके नाम से पटवारी के खाते में वह ज़मीन दर्ज़ है।

किस के पास कितनी ज़मीन है? किसने कितनी ज़मीन बेची? किसने खरीदी? कितनी सरकारी ज़मीन है? उस पर किसी का कब्ज़ा तो नहीं? खरीफ में कौन सी फसल बोई? कौन सी रबी में? यह जानकारी हर साल पटवारी इकट्ठा करता है। इस जानकारी के आधार पर वह यह हिसाब बनाता है कि हर एक किसान को अपनी ज़मीन पर कितनी **तौजी** या कर देना है।

ज़मीन पर सरकार तौजी लेती है। तौजी एक प्रकार का कर है जो, खेतीहर ज़मीन और फसल के हिसाब से लिया जाता है।

चलो चलते हैं कनियाखेड़ी के पटवारी से मिलने। तुम कनियाखेड़ी के बारे में पहले भी पढ़ चुके हो। याद है न?

कनियाखेड़ी का पटवारी

कनियाखेड़ी गांव अमरबोर तहसील में है। कनियाखेड़ी का पटवारी है मोहनकुमार। कनियाखेड़ी के अलावा वह तीन और गांवों का भी पटवारी है - पगांवा, नूनपुर और मानीगांव।

पटवारी मोहनकुमार तौजी का हिसाब-किताब बनाकर इन गांवों के **पटेल** को देता है। इसी के आधार पर पटेल अपने गांवों के किसानों से तौजी इकट्ठी करते हैं।

आज मोहनकुमार बहुत व्यस्त है। उसे अपने क्षेत्र के चारों गांवों के पटेलों को तौजी का हिसाब-किताब पूरा कर के देना है। हिसाब किताब की एक प्रति कल तक अमरबोर के तहसीलदार के दफ्तर में जमा भी करनी है।

मोहन कुमार कनियाखेड़ी के पटेल के यहां

पहुंचा। "राम-राम भैया। ये लो तौजी का फार्म। इस में गांव के सभी किसानों की तौजी की पहली किश्त लिखी है। वसूली कर के समय पर जमा कर देना।" मोहन कुमार ने पटेल से कहा।

मोहन कुमार ने तौजी का फार्म पटेल को सौंपा और अपनी साइकिल लेकर पगांवां गांव की ओर चल दिया।

वह पगांवां के पटेल के यहां बैठा उसे तौजी का फार्म दे रहा था कि इतने में एक किसान आया। "पटवारी जी राम-राम। आप को कई दिनों से ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ आप मिल गए," उसने मोहन कुमार से कहा।

"क्यों, क्या काम है?" मोहन कुमार ने पूछा।

"मैंने अपने खेत से लगा हुआ पीपल के पेड़ वाला खेत खरीद लिया है। उसकी रजिस्ट्री भी हो गई है। आप खेत पर चलकर उसकी नपती कर दो। और अपने खाते में यह खेत मेरे नाम चढ़ा देना।" किसान ने पटवारी से कहा।

"आज मुझे फुरसत नहीं है। मैं अगले मंगलवार आ कर तुम्हारा काम कर दूंगा। तुम अभी नपती के लिए एक अर्ज़ी मुझे दे दो" मोहन कुमार ने जवाब दिया। इतने में एक और किसान वहां आया। "भैयाजी, मैं अपने खेत पर कुआं खुदवाना चाहता हूं। कुएं के लिए बैंक से सरकारी लोन भी चाहिए। मैं लोन के लिए अर्ज़ी दे रहा हूं। आप मुझे प्रमाण पत्र दे दें कि मेरे पास केवल तीन एकड़ ज़मीन है और मैं **अनुसूचित जाति** का हूं। मुझे कर्ज़े में छूट लेने के लिए यह प्रमाण पत्र चाहिए।" किसान ने कहा। मोहन कुमार ने अपने खाते में उस किसान का नाम ढूंढा। खाता देखने के बाद उसने किसान को प्रमाण पत्र दिया।

अपने कागज़ बटोरकर मोहनकुमार मानीगांव की ओर चल पड़ा।

पटवारी के काम से संबंधित चार वाक्य छांटकर कापी में उतारो।

पटेल का क्या काम है?

मोहन कुमार किन गांवों में काम करता है?

ये गांव कौन सी तहसील में हैं?

अपने गांव के पटवारी से पता करो-

वह तुम्हारे गांव के अलावा और किन गांवों में काम करता है?

यहां दिए गए कामों के अलावा उसे और कौन से काम करने पड़ते हैं?

अमरबोर का तहसीलदार

अमरबोर तहसील में बहुत सारे गांव हैं। इस पूरी तहसील में कई पटवारी काम करते हैं। हर पटवारी तीन-चार गांवों का काम देखता है। सभी पटवारी अपने गांवों की ज़मीन और तौजी का हिसाब किताब अमरबोर तहसील मुख्यालय में जमा करते हैं। तहसील का मुख्यालय

अमरबोर शहर में है। अमरबोर तहसील का तहसीलदार, तहसील के सभी गांवों के हिसाब-किताब की देख-रेख करता है। उसका नाम है आरिफ अन्सारी।

आओ अमरबोर के तहसीलदार से मिलकर उसके काम के बारे में पता करें।

अमरबोर का तहसीलदार

आज फरवरी की 10 तारीख है। दफ्तर पहुंचकर अमरबोर के तहसीलदार आरिफ अन्सारी ने तौजी की वसूली के कागज़ मंगवाए और जांच की कि कितने किसानों ने तौजी की पहली किश्त जमा नहीं की है। अन्सारी ने पाया कि दस-बारह गांवों के करीब सौ किसानों ने तौजी नहीं दी है। उसने दफ्तर के बाबू से कहा "इन सब किसानों को एक नोटिस भिजवा दो। यदि पंद्रह दिन में उन्होंने तौजी जमा नहीं की तो उन पर **कुड़की** का केस चलाया जाएगा।"

चित्र 2. अमरबोर तहसील का नक्शा

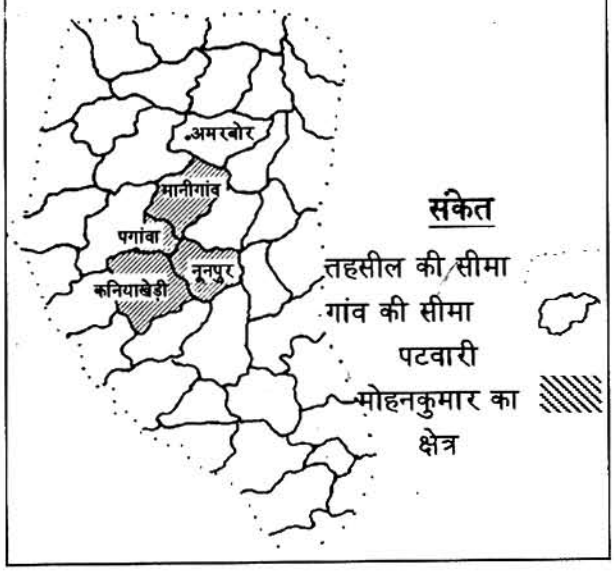

तौजी की जांच करते-करते अन्सारी को यह भी पता चला कि पांच-छः पटवारियों के हिसाब जमा ही नहीं हुए हैं। इस देरी का कारण बताने के लिए अन्सारी ने उन पटवारियों को चिट्ठी लिखवाई।

समय-समय पर तहसीलदार को तौजी के कागज़ातों की जांच करनी पड़ती है। यदि कोई किसान बहुत दिनों तक तौजी नहीं देता तो उस पर तहसीलदार की कचहरी में मुकदमा (केस) चलता है। तौजी पटाई गई या नहीं इसकी देख रेख तहसीलदार करता है।

यदि पटवारी अपने क्षेत्र की जानकारी समय पर तहसील के दफ्तर में नहीं भेजता, तब उससे कारण पूछने का अधिकार भी तहसीलदार को है। ज़मीन के झगड़ों की सुनवाई भी पहले तहसीलदार की कचहरी में होती है।

तौजी के कागज़ातों की जांच करने के बाद अन्सारी को कुछ मुकदमों की सुनवाई करनी थी। एक आदमी ने अर्ज़ी दी थी कि उसकी ज़मीन पर किसी दूसरे का कब्ज़ा है। अन्सारी ने दोनों आदमियों की गवाही सुनी और उस गांव के पटवारी को आदेश दिए कि वह अगली पेशी तक झगड़े वाले खेतों की नपाई कर के कचहरी में नक्शा पेश करे। उसने अगली पेशी की तारीख भी दी। दो-तीन मुकदमे सुन कर अन्सारी ने पेशियों का काम खत्म किया।

कई लोग बाहर इन्तज़ार कर रहे थे।

एक आदमी अपनी जाति प्रमाण पत्र पर तहसीलदार के हस्ताक्षर करवाने आया था। वह अपनी लड़कियों की छात्रवृत्ति के लिए यह

प्रमाणपत्र चाहता था। उस आदमी के गांव का नाम देख कर तहसीलदार ने कहा, "यह गांव तो इस तहसील में नहीं है। तुम्हें पिपलौदा जा कर वहां के तहसीलदार से प्रमाणित करवाना होगा।" इस तरह वह दिन गुज़रा।

चित्र 3 तहसीलदार की कचहरी

अगले दिन अन्सारी को चहटपानी गांव जाना था। वहां के पटवारी ने दर्ज़ कराया था कि बीस एकड़ सरकार की ज़मीन (छोटे घास) पर एक व्यक्ति ने कब्ज़ा कर लिया है।

जब अन्सारी चहटपानी गांव गया तो पटवारी ने उसे कब्ज़े वाली ज़मीन दिखाई। तहसीलदार ने नक्शे से मिलान कर के पाया कि पटवारी की बात सही है। पता चला कि यह कब्ज़ा लखीराम का है। वह गांव में नहीं, शहर में रहता है। अन्सारी ने लखीराम के विरुद्ध नाजायज़ कब्ज़ा करने का केस बनाया।

चहटपानी का दौरा करके तहसीलदार अन्सारी वापस अमरबोर चला गया।

अमरबोर एक काल्पनिक तहसील है। पर तहसीलदार अन्सारी को जो काम करते दिखाया है, वे हर तहसीलदार के काम हैं।

यदि कोई किसान तौजी न दे तो तहसीलदार क्या कर सकता है?

यदि पटवारी सही हिसाब-किताब बनाकर गांव के पटेल को न दे, तो तहसीलदार क्या करेगा?

तहसीलदार और पटवारी के कामों में क्या-क्या फर्क हैं? चार फर्क बताओ। तहसीलदार और पटवारी में से बड़ा अधिकारी कौन है और क्यों - कारण भी समझाओ।

तुम्हारी तहसील का तहसीलदार कौन है? क्या तुम कभी तहसीलदार के पास गए हो? अगर हां, तो किस लिए?

तुम्हारा तहसीलदार किन गांवों की तौजी का हिसाब देखता है- पांच गांवों के नाम बताओ।

कलेक्टर या जिलाधीश

तुमने अमरबोर के तहसीलदार के बारे में पढ़ा। अमरबोर तहसील चन्दनपुर ज़िले में है। अमरबोर तहसील के अलावा कई और तहसीलें मिलाकर चन्दनपुर ज़िला बनता है। ये तहसीलें हैं: मेसदीहा, पिपलौदा, मोरखेड़ा, अमरबोर और मालीपुर।

चंदनपुर ज़िले के नक्शे में इन्हें पहचानो।

तुमने कलेक्टर का नाम सुना होगा। कलेक्टर को **ज़िलाध्यक्ष** या **ज़िलाधीश** भी कहते हैं। कलेक्टर सिर्फ एक तहसील की नहीं, ज़िले की सभी तहसीलों की देखरेख करता है। और वह केवल तौजी का

काम-काज ही नहीं देखता, ज़िले में हो रहे सभी कामों पर निगरानी रखता है।

ज़िले में कई **विभाग** होते हैं - पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, पंचायत विभाग, ऐसे ही और कई विभाग हैं। इन सभी विभागों के अपने कर्मचारी और अधिकारी होते हैं। पर यदि किसी विभाग के काम में कोई समस्या आए तो ज़िलाधीश उस समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठाता है। एक तरह से पूरे ज़िले की ज़िम्मेदारी कलेक्टर पर होती है।

ज़िलाधीश के बारे में कुछ जानने के लिए चलो मिलते हैं चन्दनपुर के कलेक्टर महेश नागले से।

चित्र 4 चन्दनपुर ज़िले का नक्शा

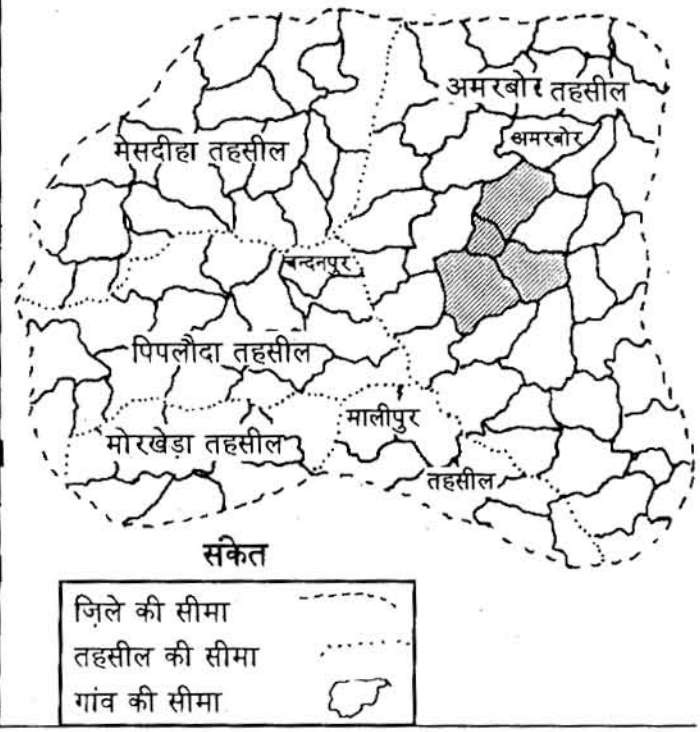

चन्दनपुर का ज़िलाधीश

चन्दनपुर ज़िले के ज़िलाधीश महेश नागले का दफ्तर है चन्दनपुर शहर में। वह रोज़ साढ़े दस बजे अपने दफ्तर पहुंचता है।

आज साढ़े ग्यारह बजे ज़िले के सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक है। यह बैठक ज़िलाधीश नागले के दफ्तर में है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि- सभी विभागों के अधिकारी आए हैं। नागले ने एक-एक कर के पिछले महीने हर **विभागाध्यक्ष** द्वारा किए गए कामों की जानकारी उनसे ली। जो काम नहीं हो पाए थे, उनमें आ रही समस्याओं के बारे में पूछा। बैठक दो बजे तक चलती रही।

बैठक के बाद नागले ने फाइलें देखीं। उसकी मेज़ पर फाइलों का ढेर था। वह एक-एक करके फाइल पढ़ता जा रहा था। उस पर अपने आदेश लिखता जा रहा था।

एक फाइल में मनकापुर ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध शिकायत थी। महेश नागले ने फाइल पढ़ी। फिर फोन उठाकर उसने अपने बाबू से कहा "ज़रा ज़िला पंचायत अधिकारी से बात कराना।"

अधिकारी की बात सुन कर नागले ने कहा 'अच्छा पंचायत इंस्पेक्टर ने जांच कर ली है? उसकी रपट अभी मुझ तक पहुंची नहीं। ज़रा भेज देना ताकि मैं कार्यवाही कर सकूं।' एक दो बातें और हुईं। फिर नागले ने फोन रख दिया।

फाइल देखते-देखते तीन बज गए थे। रोज़ तीन बजे से साढ़े चार बजे तक नागले ज़िले के लोगों से मिलता है। चन्दनपुर ज़िले की सभी तहसीलों के लोग अपनी समस्याएं लेकर ज़िलाधीश से मिलने आते हैं।

चित्र 5. जिलधीश से मिलते हुए लोग

मेसदीहा तहसील का एक छोटा किसान आया है। उसकी ज़मीन पर किसी दूसरे ने कब्ज़ा कर लिया था। इस किसान ने एक साल पहले तहसीलदार की कचहरी में अर्ज़ी दी थी। वह कई बार तहसीलदार से मिल भी चुका था। पर अब तक उसकी सुनवाई नहीं हुई थी। महेश नागले ने उससे अर्ज़ी की एक प्रति लेकर रख ली और कहा कि वह खुद इस मामले के बारे में तहसीलदार से बात करेगा।

तहसील पिपलौदा के कुछ किसान आए थे। उनके गांव में सिंचाई नहीं थी। वहां कुएं खुदवाना भी बहुत मुश्किल था। मनकापुर में बने बांध की नहरें पास के गांवों तक पहुंच गईं थीं, पर उनके गांव तक नहर नहीं आई थी। वे चाहते थे कि उनके गांव में भी नहर बनाई जाए ताकि उन्हें भी सिंचाई का फ़ायदा मिल पाए।

नागले ने उन्हें बताया कि इस मामले में वह कुछ नहीं कर पाएगा। बांध और नहरें कहां बनाई जाएंगी, ये **राज्य सरकार** की सिंचाई की योजना में तय होता है। उनका गांव मनकापुर नहर की योजना में नहीं आता। यदि उनके यहां नहर का पानी आना संभव है तो उन्हें अपने **विधायक** से कह कर, यह बात राज्य सरकार की सिंचाई योजना में मंजूर करवानी होगी।

राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम-कानून और योजनाओं को ज़िलाधीश, तहसीलदार और पटवारी ज़िले में लागू करते हैं। वे राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते हैं। वे स्वयं कोई नियम-कानून या नीति नहीं बदल सकते हैं, न ही कोई नया कानून या योजना बना सकते हैं।

अगली सुबह पांच बजे महेश नागले के घर पर अमरबोर से फोन आया। अमरबोर के रुई के कारखाने में रखे कपास के ढेर में आग लग गई थी। जलती हुई कपास उड़ कर आसपास भी जा रही थी। अभी भी आग को रोकने की कोशिश चल रही थी। महेश नागले ने तय किया कि वह थोड़ी देर में अमरबोर के लिए रवाना होगा। उसने **पुलिस अधीक्षक** और **सिविल सर्जन** से साथ चलने को कहा।

महेश नागले करीब आठ बजे तक अमरबोर पहुंचा और सीधे रुई के कारखाने पर गया। कपास काफी जल चुकी, पर आग पर काबू पा लिया गया था। नगरपालिका अध्यक्ष और तहसीलदार भी वहां थे। ज़िलाध्यक्ष ने उन से पता किया कि कितना नुकसान हुआ है। अध्यक्ष ने बताया कि कारखाने के दो मज़दूर काफी जल गए हैं और वे अस्पताल में भरती हैं।

नागले ने जले हुए घरों के मालिकों को बीस-बीस हज़ार रुपए का **मुआवज़ा** देने की घोषणा की। आग लगने की जांच करवाने का

भी वादा किया।

नागले में दोनों घायल मज़दूरों से भी मिला। नागले ने उन दोनों को दस-दस हज़ार रुपए देने की घोषणा की।

वापस चन्दनपुर लौटते समय नागले दो-तीन गांवों में रुका। वहां के किसानों और पंचों से उनकी समस्याओं पर चर्चा भी की। अमरबोर तहसील से निकलकर मनकापुर में सरपंच के खिलाफ शिकायत के बारे में पता किया। शाम को अंधेरा होने के बाद ही वह चन्दनपुर वापस पहुंच पाया।

चन्दनपुर ज़िला काल्पनिक जगह है पर चन्दनपुर ज़िले के ज़िलाधीश महेश नागले को तुमने जो भी काम करते पढ़ा, वे किसी भी ज़िलाधीश के काम हैं।

जो तुमने पढ़ा, उस के आधार पर बताओ कि ज़िलाधीश क्या-क्या काम करता है?

क्या ज़िलाधीश कोई नया कानून बना सकता है?

तहसीलदार और ज़िलाधीश में तीन फर्क बताओ।

दोनों में से बड़ा अधिकारी कौन है? यह कैसे पता चलता है।

तुम्हारे ज़िले का ज़िलाधीश कौन है?

मध्य प्रदेश राज्य और उसके ज़िले

तुम्हारा ज़िला मध्यप्रदेश राज्य में है। मध्यप्रदेश में तुम्हारे ज़िले के अलावा और बहुत से ज़िले हैं। हर ज़िले का एक ज़िलाधीश होता है जो महेश नागले की तरह अपने ज़िले के कामों की देख-रेख करता है।

अगले पृष्ट पर मध्यप्रदेश का नक्शा दिया है। इस नक्शे में कितनी तरह की रेखाएं हैं?

नक्शे में ज़िलों की सीमा किस तरह दिखाई है?

मध्यप्रदेश की सीमा किस तरह दिखाई गई है?

इस नक्शे में अपना ज़िला पहचान कर उसे रंगो।

मध्य प्रदेश में और कितने ज़िले हैं?

मधयप्रदेश में कितने ज़िलाधीश हैं?

इन में से कौन सी जगहों की समस्याएं तुम्हारे ज़िले का ज़िलाधीश सुलझाएगा - होशंगाबाद, भोपाल, खातेगांव, हरदा, इंदौर, जबलपुर, देवास, नरसिंहपुर, ग्वालियर।

इस पूरे लम्बे चौड़े मध्यप्रदेश की एक **राज्य सरकार** है। राज्य सरकार का कानून मध्यप्रदेश के सभी ज़िलों में लागू होता है।

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. ग़लत वाक्यों को सुधार कर लिखो-
   क) पूरे मध्यप्रदेश राज्य में होशंगाबाद ज़िले से अधिक तहसीलें हैं।
   ख) देवास ज़िले में हाटपिपल्या तहसील से अधिक गांव हैं।
   ग) हरदा तहसील होशंगाबाद ज़िले में है।
   घ) बैतूल ज़िला मध्यप्रदेश राज्य में है।
   ड) इंदौर ज़िले का ज़िलाधीश देवास की समस्या सुलझाएगा।

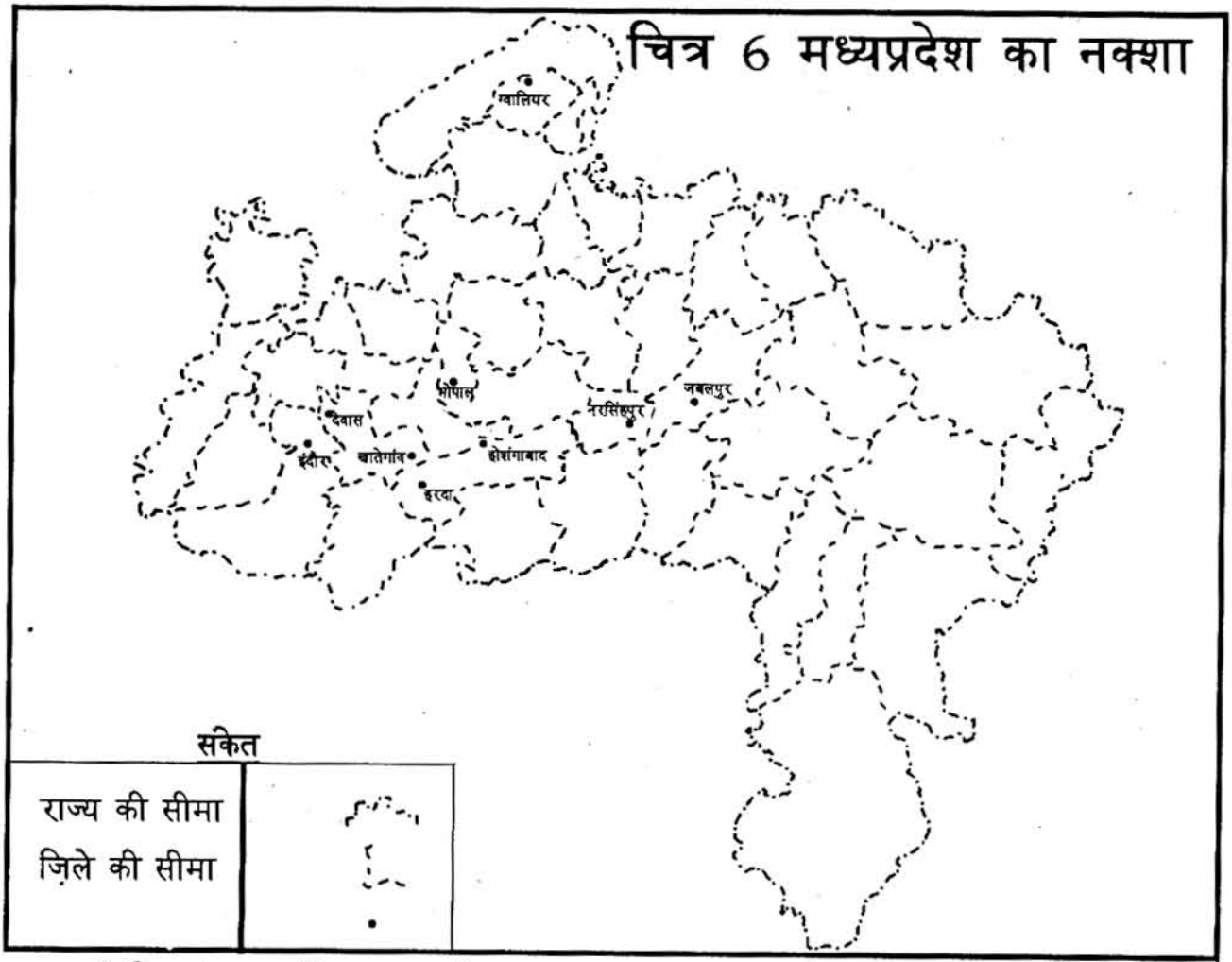

चित्र 6 मध्यप्रदेश का नक्शा

2. सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरो।

क) खेतिहर भूमि की नपाई .... (तहसीलदार / पटवारी / विधायक / ज़िलाधीश) करता है।

ख) यदि पंचायत के खिलाफ शिकायत करनी है तो............ (पटवारी / तहसीलदार / जिलाधीश) के पास जाना होगा।

ग) पटवारी तौजी के कागज़ात समय पर बनाता है या नहीं, यह देखना .... (पटेल / तहसीलदार/ विधायक) का काम है।

3. यहां पर हमारे गांव के लोगों की कुछ समस्याएं दी गई हैं। किन समस्याओं के लिए पहले किसके पास जाना पड़ेगा। (तहसीलदार / पटवारी / सरपंच / ज़िलाधीश)?

क) हमारी गली में नाली नहीं है। इसलिए सड़क पर पानी इकट्ठा हो जाता है।

ख) रामलाल ने भीरू से ज़मीन खरीदी पर पटवारी ज़मीन उसके नाम नहीं चढ़ा रहा है।

ग) पुतली नदी पर बने बांध (जो पड़ोस के तहसील में है) की नहरें हमारे गांव तक नहीं पहुंची हैं।

4. नगरपालिका अध्यक्ष और तहसीलदार के बीच तुलना करके दोनों में अंतर बताओ।

5. ज़िलाधीश कौन से काम नहीं कर सकता? एक उदाहरण बताओ। वह काम कौन कर सकता है?